

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण-2017 की धारा-12 एवं धारा-13 में दिये गये प्राविधानानुसार प्राप्त विकल्प एवं अनुरोध का विवरण।

3-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

1- सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र अधिकारी-07

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (अवरोही क्रम में)

क्र० सं०	नाम सर्वश्री	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती स्थल	सुगम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती की अवधि	सुगम क्षेत्र में तैनाती की कुल अवधि	विकल्प				अनुरोध	अभ्युक्ति
1	मोहन लाल	देहरादून	हरिद्वार	12 वर्ष 08 माह 29 दिन	31 वर्ष 02 माह 05 दिन	1	—	6	—	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि वे एपीलेप्सी रोग से ग्रस्त है। इस सम्बन्ध में इनके द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा seizure disorder सम्बन्धी प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये स्थानान्तरण से छूट का अनुरोध किया गया है।	
						2	—	7	—		
						3	—	8	—		
						4	—	9	—		
						5	—	10	—		
2	सईद अहमद	हरिद्वार	रूड़की	02 वर्ष 07 माह 01 दिन	29 वर्ष 01 माह 12 दिन	1	—	6	—	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इनके द्वारा दिनांक 15.04.2025 से उत्तराखण्ड फैडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसियेशन, जनपद शाखा हरिद्वार के जिलाध्यक्ष के पदीय दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में विहित व्यवस्थानुसार प्रदेश/जनपद के अध्यक्ष एवं सचिवों को स्थानान्तरण से छूट का प्राविधान किया गया है। साथ ही इनके द्वारा अपने एवं अपनी माताजी के बीमारी से ग्रस्त होने के सम्बन्ध में राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा जारी प्रमाण प्रस्तुत करते हुये स्थानान्तरण से छूट का अनुरोध किया गया है।	
						2	—	7	—		
						3	—	8	—		
						4	—	9	—		
						5	—	10	—		

3	सुषमा चौधरी	नैनीताल	रूद्रपुर	08 वर्ष 05 माह 01 दिन	29 वर्ष 21 दिन	1		6	—	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि ये दिनांक 15.05.2025 से उत्तराखण्ड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के पदीय दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में विहित व्यवस्थानुसार प्रदेश/जनपद के अध्यक्ष एवं सचिवों को स्थानान्तरण से छूट का प्राविधान किया गया है। अतः स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है।	
						2		7	—		
						3		8	—		
						4		9	—		
						5		10	—		
4	मंगनी हयांकी	पिथौरागढ़	रामनगर	08 वर्ष 05 माह 01 दिन	8 वर्ष 05 माह 12 दिन	1	हल्द्वानी	6	—	इनके द्वारा अवगत कराया गया कि वे स्पोण्डिलाइटिस, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द तथा अन्य बीमारियों से ग्रस्त है, जिसका उपचार हल्द्वानी सेन्टर से चल रहा है। इस सम्बन्ध में इनके द्वारा मण्डलीय चिकित्सा परिषद-नैनीताल द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये स्थानान्तरण से छूट का अनुरोध किया गया है।	
						2	रामनगर	7	—		
						3	—	8	—		
						4	—	9	—		
						5	—	10	—		
5	पान सिंह रावत	अल्मोडा	हल्द्वानी	02 वर्ष 04 माह 23 दिन	22 वर्ष 05 माह 01 दिन	1	—	6	—	इनके द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 04.12.2022 को राममूर्ति हास्पिटल, बरेली में हार्ट का ऑपरेशन करने के उपरोक्त 01 स्टेण्ट पड़ा है। इस सम्बन्ध में इनके द्वारा मण्डलीय चिकित्सा परिषद-नैनीताल द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये स्थानान्तरण से छूट का अनुरोध किया गया है।	
						2	—	7	—		
						3	—	8	—		
						4	—	9	—		
						5	—	10	—		
6	उपदेश मझखोला	पौड़ी	देहरादून	01 माह 10 दिन	19 वर्ष 11 माह 12 दिन	1	देहरादून	6	—	इनके द्वारा स्वयं को 02 वर्ष से उच्च रक्त चाप एवं मधुमेय के रोग से ग्रसित होने तथा जून 2024 में Lumbar spondylosis की समस्या के दृष्टिगत स्थानान्तरण से छूट का अनुरोध किया गया है।	
						2	—	7	—		
						3	—	8	—		
						4	—	9	—		
						5	—	10	—		
7	मनोज नेगी	टिहरी	हरिद्वार	11 माह 11 दिन	18 वर्ष 06 माह 25 दिन	1	—	6	—	इनके द्वारा अवगत कराया गया कि वे हृदय रोग से ग्रस्त है एवं हृदय में एक स्टेंट डाला है, जिसका उपचार जौलीग्रान्ट अस्पताल से नियमित रूप से चल रहा है। इस सम्बन्ध में इनके द्वारा राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा जारी प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये स्थानान्तरण से छूट का अनुरोध किया गया है।	
						2	—	7	—		
						3	—	8	—		
						4	—	9	—		
						5	—	10	—		

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (अवरोही क्रम में)			
विकल्प	अनुरोध	अभ्युक्ति	
पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं।			

पात्रता सूची में न आने वाले मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के प्राप्त अनुरोध का विवरण:-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती स्थल	वर्तमान स्थल पर तैनाती की अवधि	अनुरोध	अभ्युक्ति
1	लक्ष्मी कश्यप	कानुपर, उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा	02 वर्ष 04 माह 07 दिन	इनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनकी नियुक्ति पति के आकस्मिक निधन पर मृतक आश्रित कोटे में होने के दृष्टिगत स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 13(6) में विहित व्यवस्थानुसार हल्द्वानी, रुद्रपुर, रामनगर कार्यालयों में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।	
2	सुशील कुमार निरंजन	पौड़ी	विकासनगर	06 वर्ष 12 माह	इनके द्वारा वर्ष 2013 से लगातार उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, विकासनगर में तैनात होने के दृष्टिगत उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश हरिद्वार अथवा रुड़की कार्यालय में स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है।	
3	रूपेश गढवाली	पौड़ी	उत्तरकाशी	02 वर्ष 04 माह 21 दिन	इनके द्वारा अपनी माताजी का स्वास्थ्य खराब रहने एवं उत्तरकाशी कार्यालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजन न होने के कारण ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, काशीपुर, विकासनगर अथवा हल्द्वानी कार्यालय में स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है।	